भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4058

30 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

महाराष्ट्र के नांदेड़ में मेट्रो/मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए व्यवहार्यता अध्ययन

4058 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के समन्वय से महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ शहर में मेट्रो रेल या अन्य मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) की स्थापना के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या तकनीकी आकलन किया है या करने का विचार रखता है, जिसका उद्देश्य शहरी गतिशीलता में सुधार करना और नांदेड़ और उसके आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों की व्यापक तीर्थयात्रा को सुगम बनाना है; और

(ख) यदि हां, तो समय-सीमा, लागत अनुमान और शामिल संस्थागत तंत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ख): शहरी परिवहन शहरी विकास का अभिन्न घटक है, जो कि राज्य का विषय है, इसलिए, मेट्रो रेल परियोजना सहित शहरी परिवहन की आयोजना और विकास के कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर केंद्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है। तथापि, नांदेड़ शहर में मेट्रो/मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या तकनीकी आकलन का ऐसा कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

***